प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी
पौड़ी / चमोली ।

चिकित्सा अनुभाग-5 देहरादूनः दिनांक : 04 फरवरी, 2006

विषयः कौशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत परिवार कल्याण उपकेन्द्रों के भवनों के निर्माण कार्य की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण के पत्र सं0-79/1/निर्माण/14/2005/23890 दिनांक 26.10.2005 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वित्तीय वर्ष 2005-06 मे जनपद पौड़ी तथा चमोली मे संलग्न विवरण मे उल्लिखित स्थानों पर परिवार कल्याण उपकेन्द्रो के भवन के निर्माण कार्य हेतु कुल रू0 36,25,000.00(रू0 छत्तीस लाख पच्चीस हजार मात्र) की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष मे संलग्नानुसार रू0 15,20,000.00 (रू0 पंद्रह लाख बीस हजार मात्र)की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

1- एकमुश्त प्राविधानों को कार्य से पूर्व विस्तृत प्रस्ताव बनाकर सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त की जायेगी

2- कार्य कराते समय लो0 नि0 विभाग के स्वीकृत विशिष्टियों के अनुरूप कार्य करावे तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष बल दिया जाये । कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व निर्माण एजेन्सी का होगा ।

3- भूमि उपलब्ध होने के पश्चात ही धनराशि तत्काल आहरित की जायेगी तथा तत्पश्चात निर्माण इकाई परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा अपर परियोजना प्रबन्धक, डी0आर0 राजकीय निर्माण निगम को उपलब्ध करायी जायेगी । स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा मे इसी वित्तीय वर्ष के भीतर सुनिश्चित किया जायेगा ।

4- स्वीकृत धनराशि के आहरण से संबंधित बाऊचर संख्या एंव दिनांक की सूचना तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी तथा धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका मे उल्लिखित प्रावधानो मे बजट मैनुअल तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चत किया जायेगा ।

5- आगणन मे उल्लेखित दरो कर विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत / अनुमोदित दरों मे जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट मे स्वीकृत नही है अथवा बाजार भाव से भी ली गयी हो, को स्वीकृत नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा ।

6-कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय ।

7- कार्य पर उतना ही व्यय किया जायेगा जितना कि स्वीकृत मानक है । स्वीकृत मानक से अधिक व्यय कदापि न किया जाय ।

8- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

9- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एंव लोक निमार्ण विभाग द्वारा प्रचलित दरो / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करे ।

10 कार्य करने से पूर्व स्थल का भली-भांति निरीक्षण उच्चधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा ले । निरीक्षण के पश्चात आवश्यकतानुसार निर्देशो तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जाये ।

A

आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय । निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से परीक्षण करा लिया जाय, उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग मे लाया जाए ।

12- स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एंव भौतिक प्रगति आख्या प्रत्येक दशा में माह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रशासन को उपलब्ध करायी जायेगी । यह भी स्पष्ट किया जायेगा कि इस धनराशि से निर्माण का कौन सा अंश पूर्णतया निर्मित किया गया है ।

13- निर्माण के समय यदि किसी कारण वश यदि परिकल्पनाओं / विशिष्टियों मे बदलाव आता है तो इस दशा में शासन की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी ।

14- निर्माण कार्य से पूर्व नींव के भू-भाग की गणना आवश्यक है, नींव के भू-भाग की गणना के आधार पर ही भवन निर्माण किया जाय ।

15- उक्त भवनों के कार्यों को शीघ्र प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण किया जाए ताकि लागत पुनरीक्षित करने की आवश्यकता न पड़े ।

16- उक्त व्यय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या-30 के लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत, 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पारचात्य चिकित्सा पद्धति, 101-स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 02-अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान, 0201- उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण, 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

17- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-344 /xxvii(3)/2005 दिनांक 01.02.2006 मे प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे है ।

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0-508/xxviii-5-2005-72/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2- निदेशक, कोषागार, उत्तरांचल ,देहरादून।
3- कोषाधिकारी, पौड़ी / चमोली ।
4- जिलाधिकारी, पौड़ी / चमोली ।
5- महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तरांचल ,देहरादून ।
6- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम तथा अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम, उत्तरांचल ।
7- बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय सचिवालय, देहरादून ।
8- निजी सचिव मा0 मुख्यमंत्री ।
9- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/ नियोजन विभाग / एन0आई0सी0 ।
10- आयुक्त गढ़वाल मण्डल / कुमायु मण्डल ।
11- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

शासनादेश 508/XXVIII-5-2005-72/2005 दिनांक 04.2.06 का संलग्नक:

(धनराशि रू0 लाख में)

क0सं0	कार्य का नाम	जनपद	निर्माण इकाई	अनुमोदित लागत	वर्ष 2005-06 में स्वीकृत धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	प0क0उपकेन्द्र द्रोभश्रीकोट का भवन निर्माण ।	पौडी	पे0ज0नि0	6.99	6.99
2	प0क0उपकेन्द्र बिलखेत का भवन निर्माण ।	पौडी	पे0ज0नि0	6.91	6.91
3	प0क0उपकेन्द्र नन्दप्रयाग का भवन निर्माण ।	चमोली	रा0नि0नि0	7.63	1.30
4	प0क0उपकेन्द्र सिदोली का भवन निर्माण ।	चमोली	रा0नि0नि0	8.55	-
5	प0क0उपकेन्द्र नलगाँव का भवन निर्माण ।	चमोली	रा0नि0नि0	6.17	-
			योग	रू0 36.25	रू0 15.20

(रू0 पन्द्रह लाख बीस हजार मात्र)

(अतर सिंह)
उप सचिव